

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी श्री संदीप
कुमार सिंह



पैरोकार का० श्यामू
साहनी

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सनसनी रूप से हत्या करने वाले अभियुक्तगण को मा० न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 90,000/- रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी के द्वारा दिनांक 02.03.2022 की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर घात लगाकर नियोजित ढंग से समान आशय रखते हुए लाठी-डण्डों व लोहे की रॉड से हमला करना जिससे वादी के पुत्र की मृत्यु हो जाने की सूचना पर मु०अ०सं० 45/2022 धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302, 504, 506 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी पर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक .02.2026 को माननीय न्यायालय एसजे-03 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तगण को **आजीवन कारावास व 90,000/- रु० अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्तगण को **आजीवन कारावास**।
- अभियुक्तगण को **90,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास**।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- आशुतोष पुत्र जितेन्द्र मिश्रा निवासी पूरे गड़ेरियन मजरे राजापुर कोहरा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
- अभिषेक पुत्र माधवराज मिश्रा निवासी पूरे गड़ेरियन मजरे राजापुर कोहरा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
- अजय कुमार पुत्र विजयपाल निवासी पूरे गड़ेरियन मजरे राजापुर कोहरा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
- दुर्गा प्रसाद पुत्र विजयपाल निवासी पूरे गड़ेरियन मजरे राजापुर कोहरा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
- माधवराज मिश्रा पुत्र केदारनाथ निवासी पूरे गड़ेरियन मजरे राजापुर कोहरा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी